संख्याः–   /ix-1/2025/23/2014/E-23996

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

(2) मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल,
उत्तराखण्ड।

(3) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

(4) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

परिवहन अनुभाग–1   **देहरादूनः दिनांक** 03 जून **2025**

विषयः राज्य सरकार के अधीन कार्यरत राजकीय कर्मचारियों द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन किए जाने और सड़क सुरक्षा के प्रति आम जनमानस को जागरूक किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि देश में प्रति वर्ष 4.50 लाख से अधिक सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 1.68 लाख से अधिक व्यक्तियों की असामयिक मृत्यु एवं लगभग 4.50 लाख व्यक्ति घायल हो जाते हैं। उत्तराखण्ड राज्य भी इससे अछूता नहीं है और यहाँ भी दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मृत्यु की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि परिलक्षित हो रही है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में 50 प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड़ सेफ्टी द्वारा भी समय–समय पर दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु सभी आवश्यक उपाय किए जाने के निर्देश दिए गए हैं और समिति के स्तर से राज्य में सड़क सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग की जा रही है।

2. देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ–साथ नई तकनीक वाले वाहन भी लगातार बाजार में आ रहे हैं। राज्य में वाहनों की संख्या में वृद्धि के साथ–साथ युवाओं में तीव्र गति से वाहन चलाने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है, जो विगत वर्षों में हुई दुर्घटनाओं के अनेक कारणों में से मुख्य कारण रहा है। अतः वाहन चालक द्वारा तीव्र गति से वाहन चलाने, नशे की हालत में वाहन चलाने अथवा ऐसे अन्य कारण जो चालक की लापरवाही/अदक्षता के कारण घटित होने वाली दुर्घटनाओं को सामाजिक सहभागिता/जागरूकता से कम किया जा सकता है। इस हेतु राज्य सरकार के अन्तर्गत राजकीय सेवा/सार्वजनिक उपक्रम एवं केन्द्र सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया जाए, जिससे एक बड़े वर्ग को इस अभियान में सम्मिलित किया जा सके।

3. उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित उपायों का अनुपालन करने से भी दुर्घटनाओं की संख्या एवं उनमें होने वाली मृत्यु को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सकता है:—

(1) निर्धारित गति सीमा में वाहन का संचालन करना।
(2) दुपहिया वाहन पर सवारी करते समय हैलमेट पहनना।
(3) चारपहिया वाहन में सवारी करते समय सीट बैल्ट पहनना।
(4) नशे की हालत में वाहन न चलाना।
(5) वाहन चलाते समय मोबाईल पर बात न करना।
(6) रेड लाईट एवं चौराहों पर यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करना।
(7) गलत दिशा/रॉन्ग साईड वाहन का संचालन न करना।
(8) वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्ति न बैठाना।
(9) सड़क पर स्टन्टिंग/रेस न लगाना।

4. अतः उक्त के सम्बन्ध में आप सभी से यह अपेक्षा की जाती है कि उत्तराखण्ड राज्य सरकार के अधीनस्थ कार्यरत समस्त लोक सेवकों द्वारा मोटरयान कानूनों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और सड़क सुरक्षा जागरूकता के इस अभियान में अपने स्वजनों एवं अन्य व्यक्तियों को भी प्रेरित किया जाय।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

Digitally signed by
Anand Bardhan
Date: 29-05-2025
11:19:20

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
मुख्य सचिव।

संख्याः—301853 (1)/ ix-1/2025/23/2014/E-23996, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5. परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
6. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. प्रभारी, मीडिया केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बृजेश कुमार सन्त)
सचिव।

Digitally signed by
Shri Brijesh Kumar San
Date: 03-06-2025
13:32:15